

/कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म.प्र.)/

-:: आदेश ::-

कमांक-53/सा.अनु/12/2025 अलीराजपुर, दिनांक-17/02/2025

-:: संशोधित कार्य विभाजन पत्रक ::-

म.प्र. व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा 15 (क) तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 214, 201 तथा 441 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं के. एन. सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म.प्र.) वर्ष-2025 के लिए पूर्व में जारी कार्य विभाजन पत्रक आदेश कमांक 27 दिनांक 29.01.2025 एवं 32 दिनांक 04.02.2025 दिनांक में संशोधन कर संशोधित कार्यविभाजन पत्रक जारी करता हूँ।

यह कार्य विभाजन पत्रक तत्काल प्रभावशील होकर अन्य आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

क्रं	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	कार्य एवं प्रकरणों का विवरण
1	2	3	4
1.	सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर (म.प्र.)	सत्र खण्ड अलीराजपुर (म.प्र.)	<u>1.</u> सत्र विचारण. <u>2.</u> म.प्र. विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण अधिनियम 1982 के अन्तर्गत प्रकरण. <u>3.</u> समस्त दांडिक अपीलें। <u>4.</u> समस्त दांडिक पुनरीक्षण। <u>5.</u> विविध दांडिक प्रकरण। <u>6.</u> भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 व 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिभूति आवेदन पत्र-आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर, महिला थाना अलीराजपुर सोण्डवा, सोरवा, कट्टीवाड़ा, चांदपुर व बखतगढ़ का सम्पूर्ण थाना क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र नानपुर तथा आम्बुआ के उन क्षेत्रों के आवेदन, जो कि तहसील अलीराजपुर के अन्तर्गत आते हो।

		<p>7. जिला मुख्यालय अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाले थाना के क्षेत्रों से उत्पन्न “लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012” के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो, से संबंधित रिमाण्ड, जमानत आवेदन पत्र एवं अभियोग-पत्र।</p> <p>8. पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. (गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम।</p> <p>9. जिला अलीराजपुर के समस्त थाना क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित सत्र प्रकरण एवं उक्त अधिनियम के अपराधों से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>10. पोक्सो/पी.सी. एण्ड पी.एन.डी. टी.एक्ट/एस.सी./एस.टी. एक्ट से संबंधित उत्पन्न होने वाले अन्य विविध मामलों जो पूर्व के न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले मामलों की सुनवाई।</p> <p>11. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6(ग) के प्रकरण एवं अन्य अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले वे समस्त आपराधिक प्रकरण जो केवल सत्र न्यायाधीश द्वारा ही विचारण योग्य हैं।</p> <p>12. अन्य प्रकरण जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो व जिनका समावेश उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में नहीं आया हो,</p>
--	--	---

			तथा जो किसी अन्य जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश को इस आदेश द्वारा आबंटित न किये गये हो।
	प्रधान जिला न्यायाधीश अलीराजपुर (म.प्र.)	तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा	<p>1. तहसील अलीराजपुर के क्षेत्र से उत्पन्न मूल व्यवहार वाद, जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,000 /-से अधिक हो।</p> <p>2. तहसील अलीराजपुर के क्षेत्र से उत्पन्न ऐसे लघु वाद प्रकरण, जिनका मूल्य 500 /- रुपये से अधिक तथा 1000 /-रुपये से कम हो।</p> <p>3. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 (वरिष्ठ खण्ड) अलीराजपुर, प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (कनिष्ठ खण्ड) अलीराजपुर, अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/2 (वरिष्ठ/ कनिष्ठ खण्ड) अलीराजपुर, (रिक्त न्यायालय) अलीराजपुर एवं न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अलीराजपुर के निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीले।</p> <p>4. मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत क्लेम प्रकरण, जो आरक्षी केन्द्र अलीराजपुर, बखतगढ़ एवं सोण्डवा के क्षेत्र से उत्पन्न हो।</p> <p>5. मध्यस्थता और समझौता अधिनियम 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996)</p> <p>6. वाणिज्य अधिनियम से संबंधित प्रकरण। (01 करोड़ तक के प्रकरण)</p> <p>7. विशिष्ट अनुतोश अधिनियम 1963 से संबंधित उत्पन्न होने वाले अन्य विविध मामलें जो पूर्व के न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले मामलों की सुनवाई।</p>

			<p>8. न्यायिक तहसील अलीराजपुर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न दत्तक मामलों का विचारण प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय (शृखंला न्यायालय) केम्प अलीराजपुर की रिक्त अवधि में जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर के द्वारा विचारण योग्य मामलें।</p> <p>9. उपरोक्त समस्त कंडिकाओं में उल्लेखित प्रकरणों से उत्पन्न विविध व्यवहार एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>10. अन्य प्रकरण जो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई योग्य हो व जिनका समावेश उपरोक्त वर्णित प्रकरणों में नहीं आया हो, तथा जो किसी अन्य जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश को इस आदेश द्वारा आबंटित न किये गये हो।</p>
2.	प्रथम अति० सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर	सत्र खण्ड अलीराजपुर	<p>1. सत्र विचारण।</p> <p>2. दांडिक अपील प्रकरण।</p> <p>3. दांडिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>4. विविध दांडिक प्रकरण।</p> <p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रतिभूति आवेदन। (क्रमांक 1 से 5 के प्रकरण, जो समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे)</p> <p>6. मुख्यालय अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाले थाना के क्षेत्रों से उत्पन्न "मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000" से संबंधित मामले।</p> <p>7. जिला अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाले थाना के क्षेत्रों से उत्पन्न "अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019" (The Banning of the unregulated Deposit Scheme act 2019) के अन्तर्गत प्रकरण।</p>

			<p>8. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कट्ठीवाड़ा के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों से संबंधित प्रकरण (दिनांक 01.04.17 के पश्चात् संस्थित प्रकरण)।</p> <p>09. जिला अलीराजपुर के समस्त थाना क्षेत्रों के "स्वापक: औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985" के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण (लघुमात्रा के दण्डाधिकारी द्वारा विचारण योग्य प्रकरणों को छोड़कर) उक्त अधिनियम के अपराध से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।</p> <p>10. जिला अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाले थाना के क्षेत्रों से उत्पन्न "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2013 (2008 का 34)" के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो, से संबंधित अभियोग-पत्र।</p> <p>11. एन.डी.पी.एस. एक्ट/ मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000/ "अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी अधिनियम 2019"/ "राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2013" से संबंधित उत्पन्न होने वाले अन्य विविध मामलें जो पूर्व के न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले मामलों की सुनवाई।</p> <p>12. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विविध मामलें जो पूर्व के न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले मामलों की सुनवाई।</p>
--	--	--	---

			13. जिला अलीराजपुर के क्षेत्र से उत्पन्न भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई एवं उपरोक्त अधिनियम से संबंधित जमानत आवेदन पत्र।
	प्रथम जिला न्यायाधीश अलीराजपुर	तहसील कठिठवाड़ा,	<p>1. तहसील कठिठवाड़ा के क्षेत्र से उत्पन्न मूल सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,000 /-से अधिक हो।</p> <p>2. तहसील कठिठवाड़ा के क्षेत्र से उत्पन्न ऐसे लघु वाद प्रकरण जिनका मूल्य 500/- रुपये से अधिक तथा 1000/-रुपये से कम हो।</p> <p>3. उपरोक्त समस्त कंडिकाओं के प्रकरण से उत्पन्न विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन प्रकरण एवं पूर्व में उक्त न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध/प्रवर्तन प्रकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में कार्यवाही।</p> <p>4. मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत क्लेम प्रकरण, जो आरक्षी केन्द्र नानपुर, सोरवा एवं आम्बुआ के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र, जो तहसील अलीराजपुर के अन्तर्गत हैं, से उत्पन्न प्रकरण।</p> <p>5. न्यायिक क्षेत्र जिला मुख्यालय अलीराजपुर के समस्त भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 (Right to Fair Compensation And Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013).</p> <p>6. अन्य सिविल प्रकरण, जो जिला न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावे।</p>

3.	द्वितीय अति. सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर	सत्र खण्ड अलीराजपुर	<p>1. सत्र विचारण।</p> <p>2. दांडिक अपील प्रकरण।</p> <p>3. दांडिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p>4. विविध दांडिक प्रकरण।</p> <p>5. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अन्तर्गत प्रतिभूति आवेदन। (क्रमांक 1 से 5 के प्रकरण, जो समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे)</p> <p>6. तहसील अलीराजपुर, कट्ठीवाड़ा, सोंडवा के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न "विद्युत अधिनियम" से संबंधित अपराधों के मामलें।</p> <p>7. विद्युत अधिनियम से संबंधित उत्पन्न होने वाले तथा अन्य विविध मामलें जो पूर्व के न्यायालय द्वारा निराकृत किये गये हो अथवा माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त होने वाले मामलों की सुनवाई।</p>
	द्वितीय जिला न्यायाधीश, अलीराजपुर	तहसील सोण्डवा	<p>1. <u>तहसील सोण्डवा के क्षेत्र से उत्पन्न</u> मूल सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,000 /-से अधिक हो।</p> <p>2. <u>तहसील सोण्डवा के क्षेत्र से उत्पन्न</u> ऐसे लघु वाद प्रकरण जिनका मूल्य 500/- रुपये से अधिक तथा 1000/-रुपये से कम हो।</p> <p>3. उपरोक्त समस्त कंडिकाओं के प्रकरण से उत्पन्न विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन प्रकरण एवं पूर्व में उक्त न्यायालय के द्वारा निराकृत प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध/प्रवर्तन प्रकरण एवं माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रकरणों में कार्यवाही।</p> <p>4. मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत क्लेम प्रकरण, जो आरक्षी केन्द्र चांदपुर, कट्ठीवाड़ा के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्र, जो तहसील अलीराजपुर के अन्तर्गत हैं, से उत्पन्न प्रकरण।</p>

			<p><u>5.</u> अन्य सिविल प्रकरण, जो जिला न्यायाधीश अलीराजपुर द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावे।</p>
4.	अति. सत्र न्यायाधीश जोबट	सत्र खण्ड जोबट	<p><u>1.</u> सत्र विचारण।</p> <p><u>2.</u> आपराधिक अपील प्रकरण।</p> <p><u>3.</u> आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण।</p> <p><u>4.</u> विविध दांडिक प्रकरण।</p> <p>(क्रमांक 1 से 4 के प्रकरण जो समय-समय पर सत्र न्यायालय द्वारा अंतरित किये जावे।)</p> <p><u>5.</u> धारा 482, 483 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र आरक्षी केन्द्र बोरी, जोबट/ चन्द्रशेखर आजाद नगर का सम्पूर्ण थाना क्षेत्र एवं महिला थाना अलीराजपुर/नानपुर थाना/आरक्षी केन्द्र उदयगढ़,/आम्बुआ का वह क्षेत्र जो तहसील जोबट न्यायिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो।</p> <p><u>6.</u> तहसील जोबट, चन्द्रशेखर आजाद नगर के अंतर्गत आने वाले थाना के क्षेत्रों से उत्पन्न "लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012" के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों से संबंधित प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो, से संबंधित रिमांड एवं जमानत आवेदन-पत्र तथा ऐसे मामलों के वे प्रकरण, जो समय-समय पर सत्र न्यायाधीश द्वारा अंतरित किये जावे।</p> <p><u>7.</u> तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर के क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न <u>विद्युत अधिनियम</u> से संबंधित अपराधों के मामलें।</p> <p><u>8.</u> तहसील न्यायालय जोबट के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 से संबंधित मामले।</p>

			<p>9. ग्राम न्यायालय जोबट के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट संप्राप्त करेंगे, एवं अतिआवश्यक स्वरूप के आवेदन पत्र पर आदेश पारित करेंगे तथा प्रकरण अग्रिम आदेश हेतु सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर को प्रेषित करेंगे।</p> <p>(टीप:- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट (रिक्त न्यायालय)/न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट के न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपील एवं आपराधिक पुनरीक्षण प्रकरण एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) जोबट /चन्द्रशेखर आजाद नगर (भाबरा) के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण एवं उपरोक्त थाना क्षेत्र से उपार्पित किये गये, सत्र प्रकरणों (जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के प्रकरण सहित) की सम्प्राप्ति करेंगे तथा इन प्रकरणों में अर्जेंट स्वरूप के आवेदन पत्र पर आदेश पारित करेंगे तथा प्रकरण अग्रिम आदेश हेतु सत्र न्यायाधीश को प्रेषित करेंगे।</p>
	जिला न्यायाधीश जोबट	तहसील जोबट / चन्द्रशेखर आजाद नगर	<p>1. मूल सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य रुपये 1,00,00,000/-से अधिक हो।</p> <p>2. ऐसे लघु वाद प्रकरण जिनका मूल्य 500/- रुपये से अधिक तथा 1000/-रुपये से कम हो।</p> <p>3. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1/अति0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 जोबट (वरिष्ठ खण्ड) /व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ (वर्ग-2) खण्ड जोबट एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के निर्णय/</p>

		<p>जयपत्र एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील।</p> <p>4. तहसील जोबट/चन्द्रशेखर आजाद नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न प्रान्तीय दिवालिया अधिनियम तथा आर्बिट्रेशन अधिनियम के वे प्रकरण जिनका मूल्य रूपये 1,00,00,000/- से अधिक हो।</p> <p>5. हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>6. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>7. मोटरयान दावा अधि. 1988 के दुर्घटना दावा प्रकरण जो (आरक्षी केन्द्र जोबट/ बोरी/ चन्द्रशेखर आजाद नगर/ आम्बुआ/ नानपुर/ उदयगढ़ का वह क्षेत्र जो तह जोबट के अन्तर्गत आता हो)</p> <p>8. संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के प्रकरण।</p> <p>9. तहसील जोबट/चन्द्रशेखर आजाद नगर क्षेत्रान्तर्गत उत्पन्न दत्तक मामलों का विचारण</p> <p>10. उपरोक्त समस्त कंडिकाओं के प्रकरण से उत्पन्न विविध व्यवहार वाद एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>11. समस्त प्रकार के सिविल प्रकरण जो जिला न्यायाधीश, द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जावे।</p> <p>12. न्यायिक क्षेत्र तहसील न्यायालय जोबट के समस्त भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास अधिनियम 2013 (Right to Fair Compensation And Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013).</p>
--	--	---

5.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर एवं सोण्डवा, कठिठवाड़ा	<p><u>1.</u> तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा तथा कठिठवाड़ा के मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 5,00,000/-सेअधिक एवं 1,00,00,000/- रुपये तक (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो।)</p> <p><u>2.</u> तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा एवं कठिठवाड़ा के सहकारी संस्थान के अन्तर्गत रुपये 5,00,000/- से 1,00,00,000/-तक के प्रकरण।</p> <p><u>3.</u> भारतीय उत्तराधिकार अधि. के खण्ड-10 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p><u>4.</u> दिवालिया प्रकरण जिसमें कर्ज रुपये 1,00,00,000/-तक।</p> <p><u>5.</u> अलीराजपुर मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के धारा 172 तथा 139 के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p><u>6.</u> रुपये 500/- तक के लघु वाद प्रकरण।</p> <p><u>7.</u> उपरोक्त मूल वाद तथा लघुवाद प्रकरणों से (रिक्त न्याया.) संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p><u>8.</u> तहसील क्षेत्राधिकार से संबंधित म.प्र. नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p><u>9.</u> जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p><u>10.</u> पूर्व के न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 अलीराजपुर के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत होने वाली अन्य विविध कार्यवाहियों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की कार्यवाहियां।</p>
----	---	--	---

6.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड न्यायालय अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर एवं सोण्डवा, कठिठवाड़ा	<p>01 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>02. पूर्व के न्यायालय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड/ वर्ग-1 के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत होने वाली अन्य विविध कार्यवाहियों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की कार्यवाहीयां।</p>
7.	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड न्यायालय अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर सोण्डवा कठिठवाड़ा	<p>1. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कठिठवाड़ा के मूल सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य रुपये 0 से 5,00,000/- तक हो (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो)।</p> <p>2. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कठिठवाड़ा सहकारी संस्थान के अन्तर्गत रुपये 0 से 5,00,000/- तक के वाद।</p> <p>3. तहसील अलीराजपुर, सोण्डवा, कठिठवाड़ा रुपये 200/- तक के लघुवाद प्रकरण।</p> <p>4. उपरोक्त मूल वाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>5. पूर्व के अति./प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड /वर्ग-2 अलीराजपुर/ अति. न्यायालय अलीराजपुर के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत होने वाली अन्य विविध कार्यवाहीयां एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की कार्यवाहीयां।</p> <p>6. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>

8.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर सोण्डवा कठिठवाड़ा	<p style="text-align: center;"><u>रिक्त न्यायालय</u></p> <p>रिक्त न्यायालय का प्रभार द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर के पास रहेगा।</p>
9.	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश न्यायालय अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर सोण्डवा कठिठवाड़ा	
10.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय अलीराजपुर	तहसील अलीराजपुर कट्टीवाड़ा सोण्डवा	<p>1. तहसील अलीराजपुर के अंतर्गत आने वाली जनपद पंचायतों के क्षेत्रों से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में उल्लेखित प्रकृति के व्यवहार वाद व व्यवहार प्रकरण</p> <p>2. जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
11.	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जोबट	तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर	<p>1. तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर एवं जोबट के मूल साम्प्रतिक वाद रुपये 5,00,000 से अधिक एवं 1,00,00,000/- रुपये तक (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो।)</p> <p>2. तहसील चन्द्रशेखर आजाद नगर एवं जोबट के सहकारी संस्थान के अन्तर्गत रुपये 5,00,000 से अधिक एवं 1,00,00,000/-तक के प्रकरण।</p> <p>3. भारतीय उत्तराधिकार अधि. के खण्ड-10 के अन्तर्गत प्रकरण।</p> <p>4. दिवालिया प्रकरण जिसमें कर्ज रुपये 1,00,00,000/-तक।</p>

			<p>5. तहसील न्यायालय जोबट के क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के धारा 172 तथा 139 के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p>6. चन्द्रशेखर आजाद नगर एवं जोबट के क्षेत्राधिकार से संबंधित म.प्र. नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p>7. रुपये 500 /- तक के लघु वाद प्रकरण।</p> <p>8. उपरोक्त मूल वाद तथा लघुवाद प्रकरणों से (रिक्त न्याया.) संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p>9. तहसील क्षेत्राधिकार से संबंधित म.प्र. नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत अपीलें।</p> <p>10 जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p> <p>11. पूर्व के न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 (वरिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खण्ड) जोबट के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत होने वाली अन्य विविध कार्यवाहियों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की कार्यवाहियां।</p>
12.	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट	तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर	<p>1. तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर के मूल सांपत्तिक वाद जिनका मूल्य रुपये 0 से 5,00,000 /- तक हो (उन वादों को छोड़कर जो लघुवाद न्यायालय द्वारा ही सुनवाई योग्य हो)।</p> <p>2. तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर सहकारी संस्थान के अन्तर्गत रुपये 0 से 5,00,000 /- तक के वाद।</p> <p>3. तहसील जोबट एवं चन्द्रशेखर आजाद नगर रुपये 200 /- तक के लघुवाद प्रकरण।</p>

			<p><u>4.</u> उपरोक्त मूल वाद तथा लघुवाद प्रकरणों से संबंधित विविध एवं प्रवर्तन प्रकरण।</p> <p><u>5.</u> पूर्व के न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 (कनिष्ठ खण्ड) एवं अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश (कनिष्ठ खण्ड) जोबट के न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये समस्त प्रकार के सिविल प्रकरणों से उद्भूत होने वाली अन्य विविध कार्यवाहियों एवं अपील न्यायालयों से प्राप्त होने वाले प्रकरणों की कार्यवाहियां।</p> <p><u>6.</u> जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>
13.	न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय जोबट	तहसील जोबट	<p><u>1.</u> तहसील जोबट के अंतर्गत आने वाली समस्त जनपद पंचायतों के क्षेत्रों से उत्पन्न ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 की द्वितीय अनुसूची (Second Schedule) में उल्लेखित प्रकृति के व्यवहार वाद व व्यवहार प्रकरण।</p> <p><u>2.</u> जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण।</p>

//अन्य कार्य की व्यवस्था//

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर का न्यायालय रिक्त रहने अथवा दीर्घ अवकाश की स्थिति में उनके न्यायालय द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों या उनसे उत्पन्न अपीलों के आदेश का पालन एवं अवार्ड राशि वितरण का अर्जेंट स्वरूप का कार्य भी प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर सम्पादित करेंगे एवं प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर की अवकाश या अनुपालब्धता की स्थिति में द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर संपादित करेंगे।

(2) पूर्व में प्रथम अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक)/प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण एवं अन्य विविध कार्यवाहियों में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर करेंगे। उक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों या उनसे उत्पन्न अपीलों के आदेश का पालन एवं अवार्ड राशि वितरण का कार्य भी प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर करेंगे। उक्त न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध कार्यवाहियों को संपादित करेंगे।

(3) पूर्व में द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन न्यायालय द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर करेंगे। उक्त न्यायालयों द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों या उनसे उत्पन्न अपीलों के आदेश का पालन एवं अवार्ड राशि वितरण का कार्य भी द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर करेंगे। उक्त न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाले अन्य विविध कार्यवाहियों को संपादित करेंगे।

(4) एस.सी./एस.टी. (अंतर्गत एट्रोसीटी) अधिनियम एवं पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश की अनुपस्थिति में उक्त न्यायालय में अत्यावश्यक प्रकृति के लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर सत्र खण्ड में उपलब्ध वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय जोबट में उपलब्ध अति. सत्र न्यायाधीश वरिष्ठतम के अनुक्रम में करेंगे।

(5) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 (स्पेशल जज) अधिनियम के अंतर्गत (विशेष न्यायाधीश) की अनुपस्थिति में उक्त न्यायालय में अत्यावश्यक प्रकृति के लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण मुख्यालय पर उपलब्ध वरिष्ठ अति. सत्र न्यायाधीश उनकी अनुपस्थिति में सत्र खण्ड में उपलब्ध वरिष्ठतम अति. सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश (स्पेशल कोर्ट) सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के रूप में उनका निराकरण करेंगे।

(6) जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट एवं जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, (फास्ट ट्रैक कोर्ट) जोबट के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन न्यायालय

जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट द्वारा किया जावेगा। उक्त न्यायालय द्वारा निराकृत क्लेम प्रकरणों या उनसे उत्पन्न अपीलें के आदेश का पालन एवं अवार्ड राशि वितरण का कार्य भी जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट द्वारा संपादित किया जावेगा। उक्त न्यायालय के द्वारा पूर्व में निराकृत किये गये सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों से उत्पन्न होने वाली अन्य विविध कार्यवाहियों को भी संपादित करेंगे।

(7) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अलीराजपुर के निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, मुख्यालय के समस्त न्यायालय की दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण आदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। उक्त न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर के द्वारा किया जावेगा।

(8) प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर एवं अति. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (प्रशिक्षु न्यायाधीश)/ प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के न्यायालय के अति. न्यायाधीश अलीराजपुर के निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, मुख्यालय के समस्त न्यायालय की दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण आदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी। उक्त न्यायालय के न्यायालयों के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर के द्वारा किया जावेगा।

(9) अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (वर्ग-01)/पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01, जोबट के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, पुनरीक्षण आदि जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट के न्यायालय में एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (वर्ग-2) जोबट/पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जोबट/ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट के न्यायालय के अति. न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त

न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, पुनरीक्षण आदि जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट संप्राप्त करेंगे।

(10) व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड (वर्ग-02)/पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02, जोबट के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, पुनरीक्षण आदि जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट के न्यायालय में पूर्व में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जोबट/व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट के न्यायालय के अति. न्यायाधीश के द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत नियमित अपीलें तथा उक्त न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत विविध व्यवहार अपीलें, पुनरीक्षण आदि जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट संप्राप्त करेंगे।

उक्त न्यायालय के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/ आदेश आदि का अनुपालन व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जोबट/ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, के द्वारा किया जावेगा।

अति. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड एवं व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड जोबट (रिक्त न्यायालय) के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलों, पुनरीक्षण में दिये गये निर्णय/आदेश आदि का अनुपालन व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, जोबट के द्वारा किया जावेगा।

(11) न्यायिक तहसील जोबट के क्षेत्रान्तर्गत आबकारी अधिनियम की धाराओं के तहत वे प्रकरण जो शराब की मात्रा 50 बल्क लीटर से अधिक हो, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जोबट द्वारा विचारण उपरांत सीजेएम न्यायालय अलीराजपुर के द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत दांडिक अपीलें, पुनरीक्षण अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट के न्यायालय में प्रस्तुत की जावेगी।

(12) अति./व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ/कनिष्ठ खण्ड (वर्ग-1 व 2) जोबट का न्यायालय रिक्त होने से उक्त न्यायालय से संबंधित प्राप्त होने वाले व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड के सुनवाई क्षेत्र से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों की सुनवाई व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट एवं वरिष्ठ खण्ड के सुनवाई क्षेत्र के समस्त प्रकार के प्रकरण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड (वर्ग-1) अलीराजपुर के द्वारा की जावेगी।

(13) तहसील जोबट एवं चंद्रशेखर आजाद नगर के अंतर्गत आने वाले थाना क्षेत्रों से उत्पन्न लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों एवं ओ.ए.डब्ल्यू. के अपराधों से संबंधित जैसे रेप, गैंग रेप, मर्डर विथ रेप तथा उससे संबंधित अन्य अपराधों के प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य हो, से संबंधित प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट द्वारा सत्र न्यायालय को उपापित किये जाने वाले को श्री नदीम खान, अति. सत्र न्यायाधीश जोबट संप्राप्त करेंगे। ऐसे वे प्रकरण जो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जोबट के द्वारा सत्र न्यायालय को उपापित किये जाने वाले को अति. सत्र न्यायाधीश जोबट संप्राप्त करेंगे, इन प्रकरणों में अर्जेंट स्वरूप के आवेदन पत्र पर आदेश भी पारित करेंगे तथा प्रकरण केन्द्रीयकृत पंजी में दर्ज करने हेतु सत्र न्यायाधीश को प्रेषित करेंगे।

(14) ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अलीराजपुर की अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अलीराजपुर एवं ग्राम न्यायालय जोबट की अनुपलब्धता/रिक्त होने की स्थिति में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ/वरिष्ठ खण्ड जोबट के न्यायालय के अति. न्यायाधीश, जोबट के द्वारा सिविल कार्य हेतु प्रभारी रहेंगे।

(15) प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ श्रृंखला न्यायालय अलीराजपुर के अनुपलब्धता की स्थिति में तहसील अलीराजपुर के धारा 125 एवं 125 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन पत्र प्रस्तुतकार कुटुम्ब न्यायालय कैम्प अलीराजपुर के द्वारा प्राप्त कर सत्र न्यायालय अलीराजपुर में प्रस्तुत करेंगे।

(16) सिविल न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा - 21(3) के अंतर्गत ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाशों की अवधि में प्रत्येक न्यायाधीश अपने न्यायालय में विचाराधीन अथवा नवीन प्रस्तुत होने वाले अत्यावश्यक सिविल प्रकृति के आवेदन/याचिका/वाद प्रकरण सुनवाई हेतु स्वयं ग्रहण कर सकेगा। किसी न्यायाधीश के ग्रीष्मकालीन अथवा शीतकालीन अवकाश पर होने की स्थिति में उस आशय का आवेदन/याचिकाएं/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर वह न्यायालय इस संबंध में सुनवाई करेगा, जिसके पास सामान्य रूप से अत्यावश्यक सिविल कार्यों का प्रभार आदेशित किया गया है।

(17) द.प्र.स.1973 की धारा 09 (3) अनुसार सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अर्जेंट आवेदन के

**न्यायालय की अनुपस्थिति में आवश्यक आपराधिक (सत्र न्यायालय)
एवं सांपत्तिक प्रकरणों की सुनवाई की व्यवस्था**

क	अनुपस्थित न्यायालय का नाम	प्रथम प्रभार	द्वितीय प्रभार	तृतीय प्रभार	चतुर्थ प्रभार
1	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, / सी.जे.एम. अलीराजपुर
2	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, / सी.जे.एम. अलीराजपुर
3	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, / सी.जे.एम. अलीराजपुर
4	जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट	प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर,	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, / सी.जे.एम. अलीराजपुर
5	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जोबट	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट
6	द्वितीय व्यवहार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश	व्यवहार न्यायाधीश

	न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	वरिष्ठ खण्ड जोबट	कनिष्ठ खण्ड जोबट
7	द्वितीय व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड जोबट	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड जोबट
8	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जोबट	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जोबट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	द्वितीय व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर
9	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जोबट	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जोबट	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर	द्वितीय व्य. न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर

नोट :-

(1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर/ जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश जोबट की अनुपस्थिति / अवकाश पर रहने की दशा में उक्त न्यायालयों के अतिआवश्यक कार्य उपलब्धता के आधार पर कोई भी जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के द्वारा संपादित किया जावेगा, उनकी भी अनुपस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अलीराजपुर के द्वारा उक्त न्यायालयों के अतिआवश्यक कार्य संपादित किये जावेंगे।

(2) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों के अतिआवश्यक कार्य उपलब्धता के आधार वरिष्ठता के अनुक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संपादित किये जावेंगे।

(3) ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अलीराजपुर/जोबट के अवकाश तथा अनुपलब्धता या रिक्त होने की स्थिति में कार्य सुविधा की दृष्टि से समस्त अतिआवश्यक कार्यों का दायित्व कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 01/सा.अनु./06/2023 अलीराजपुर दिनांक 12.06.2023 के अनुक्रम में संपादित करेंगे।

(4) लिंगिचिंग और भीड़ हिंसा से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कार्यालयीन आदेश क्रमांक 203/सा.अनु./12/2023 अलीराजपुर दिनांक 21.09.2023 के अनुक्रम में संबंधित न्यायालयों के द्वारा किया जावेगा।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

sd/-
(के. एन. सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म.प्र.)

/कार्यालय: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर (म.प्र.)/

पृ.कं. ³³⁹ - / सा.अनु / 12 / 2025,

अलीराजपुर, दिनांक- 7 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :-

- 01- माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर।
- 02- माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इन्दौर।
- 03- प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर।
- 04- ☒ द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर।
- 05- जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, जोबट।
- 06- प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड अलीराजपुर।
- 07- द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर।
- 08- प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, अलीराजपुर।
- 09- व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड, जोबट।
- 10- व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, जोबट।
- 11- ग्राम न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय अलीराजपुर/जोबट।
- 12- प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, अलीराजपुर।
- 13- जिलाधीश, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)
- 14- पुलिस अधीक्षक, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)
- 15- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी, अलीराजपुर/जोबट।
- 16- अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, अलीराजपुर/जोबट।
- 17- जिला अभियोजन अधिकारी अलीराजपुर/जिला लोक अभियोजक अलीराजपुर।
- 18- प्रशासनिक/उप प्रशा.अधिकारी कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलीराजपुर।
- 19- प्रस्तुतकार, न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर।
- 20- प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, केम्प अलीराजपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के.एन.सिंह)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
अलीराजपुर (म.प्र.)

